न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या- 20
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या- 734/2026
मु०अ०सं०- 606/2025
थाना- जानी, जिला मेरठ।
सरकार बनाम साहिल उर्फ नैचा

दिनांक-24.07.2026

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी/अभियुक्त साहिल उर्फ़ नेंचा पुत्र इकबाल द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कथन किया गया है कि मुकदमा अपराध संख्या 606/2025, धारा 303(2), 317(2) बी.एन.एस., थाना जानी, जनपद मेरठ में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2026 को अभियुक्त की नियमित जमानत इस शर्त पर स्वीकृत की गयी थी कि वह ₹50,000/– का निजी बन्धपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करेगा। प्रार्थी का कथन है कि वह दिनांक 11.12.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। वह अत्यन्त निर्धन एवं कमजोर आर्थिक स्थिति का व्यक्ति है तथा ₹50,000/– के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने में असमर्थ है। प्रार्थी की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के आदेश के अनुपालन में विधिक रक्षा अधिवक्ता पैरवी कर रहे हैं। यह प्रार्थी का प्रथम आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुओ–मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या–04/2021 में दिनांक 31.01.2023 को निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में न्यायहित में जमानत आदेश दिनांकित 21.04.2026 में शिथिलीकरण करते हुए ₹50,000/– के दो प्रतिभुओं के स्थान पर ₹25,000/– का एक प्रतिभू प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त की नियमित जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2026 को स्वीकार की जा चुकी है, किन्तु जमानत की शर्तों का अनुपालन न कर पाने के कारण अभियुक्त अभी तक जिला कारागार से रिहा नहीं हो सका है। अभियुक्त की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा थाना जानी, मेरठ से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया गया। आख्या से स्पष्ट है कि अभियुक्त आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर वर्ग का व्यक्ति है तथा उसके पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं जिससे वह जमानत आदेश में निर्धारित प्रतिभुओं की व्यवस्था कर सके। अभियुक्त दिनांक 11.12.2025 से निरन्तर कारागार में निरुद्ध है तथा जमानत स्वीकृत होने के उपरान्त भी मात्र आर्थिक अक्षमता के कारण रिहा नहीं हो सका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुओ–मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या–04/2021 में निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में यह न्यायालय इस मत का है कि केवल आर्थिक अभाव के कारण किसी अभियुक्त को कारागार में निरुद्ध रखना न्यायोचित नहीं है। अतः अभियुक्त की आर्थिक स्थिति,टी०पी०ओ० एवं पुलिस आख्या तथा न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए जमानत की शर्तों में आंशिक शिथिलीकरण किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

जमानत आदेश दिनांकित 21.04.2026 में निर्धारित ₹50,000/– के दो प्रतिभुओं की शर्त को शिथिल करते हुए आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त ₹50,000/– (पचास हजार रुपये) का एक प्रतिभू तथा पूर्व में निर्धारित ₹50,000/– का निजी बन्धपत्र न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त एक प्रतिभू एवं निजी बन्धपत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये। जमानत आदेश दिनांकित 21.04.2026 की अन्य समस्त शर्तें यथावत रहेंगी।

तद्नुसार प्रार्थना–पत्र निस्तारित किया जाता है।

दिनांक– 24.07.2026

(अभिषेक उपाध्याय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–20, मेरठ।
J.O. Code – U.P. 1641

Digitally signed by ABHISHEK UPADHYAYA
Date: 2026.07.24 17:10:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court